(4)

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या – 14/2018

बिगन मराण्डी वगै0 बनाम ओ0एन0जी0सी0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

21-12-2018

– :: **आदेश** :: –

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एंव उसमें संलग्न कागजातों का अविलोकन किया। आवेदक बिगन मराण्डी, पिता–कोका मांझी वो शिव मांझी, पिता–महा मांझी, दोनों का निवास ग्राम–केरीबंदा, पो0–हेसागढ़ा, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु नीचे वर्णित भूमि को पट्टा (लीज) पर देने की अनुमति आवेदन पर वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी निम्नवत् हैः–

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकवा)(एकड़)
केरीबंदा	माण्डू/124	10	183	0.20 एकड़
कुल रकबा				0.20 एकड़ (बीस डिसमील)

अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ का पत्रांक 2181/रा0 दिनांक 19.12.2018 एवं प्रतिवेदन के साथ संलग्न अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–49 के तहत उक्त प्रश्नगत भूमि हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती की अनुमति हेतु ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु अनुशंसा की गई है। साथ ही प्रतिवेदित है कि आवेदित भूमि मौजा–केरीबंदा के खाता नं0–10 सर्वे खतियान में चुडू सौताल के नाम से रैयती दर्ज है, जिसकी जमाबन्दी राजस्व पंजी–II पृ0सं0–10/I पर ओहदार मांझी वगै0 के नाम से दर्ज है। आपसी घरेलु बंटवारा के तहत आवेदकगण को उक्त प्रश्नगत भूमि प्राप्त है एवं अनुमति के उपरांत आवेदकगण भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं।

अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु पट्टा (लीज) में 12 (बारह) वर्षो की अवधि के लिए प्रश्नगत अनुमति हेतु प्राप्त भूमि हस्तातंरण करने की अनुमति निम्नाकिंत शर्तो पर दी जाती हैः–

1. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत द्वितीय पक्ष ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) किसी भी कारण से प्रश्नगत भूमि को किसी तीसरे पार्टी को न तो हस्तातंरित करेंगे और न ही पट्टे पर देगें। साथ ही यदि उन्हें प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता नही हो तो विपक्षी बिना किसी शर्त के प्रथम पक्ष को वापस करेंगे।

21/12/18

2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा'–49(3) के आलोक में बिक्रेता द्वारा क्रेता को भूमि हस्तांतरण निबंधित केवाला के माध्यम से किया जायेगा।
3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा'–49(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत भूखण्ड का हस्तानांतरण नही होगा और यह दर किसी भी परिस्थिति में "The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" एवं यथा संशोधित अधिनियम के आलोक में प्रश्नगत भूमि अन्तर्गत उस क्षेत्र में उस किस्म की दी जाने वाली भूमि के दर से कम नही होगा।
4. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा'–49(5) में वर्णित प्रावधानों से यह आदेश प्रभावित होगा।
5. क्रेता द्वारा Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy एवं सरकार द्वारा यथा संशोधित इस संबंध में निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जायेगा।
6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू–लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तानांतरण के पश्चात राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।
7. क्रेता–बिक्रेता भूमि हस्तानांतरण के निमित निबंधन दस्तावेज तैयार कर अंचल अधिकारी, माण्डू के समक्ष प्रस्तुत करेगें। अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा भूमि, हस्तानांतरण हेतु निबंधन दस्तावेज में उपरोक्त सभी शर्त्तो का अक्षरशः अनुपालन हुआ है, सुनिश्चित करेगें। साथ ही बिक्रेता भूमि हस्तानांतरण के पश्चात् भूमि हीन की श्रेणी में नहीं आते है एवं बिक्रेता हस्तानांतरित भूमि के वास्तविक स्वामित्व/रैयत/हिस्सेदार एवं दखलकार की भूमि है, सुनिश्चित कर अंचल अधिकारी, माण्डू के द्वारा निबंधन हेतु अनुमति के पश्चात् निबंधन किया जा सकेगा।
8. अवर निबंधक, निबंधन से पूर्व क्रेता तथा विक्रेता के मध्य सहमति/Consensus के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

उक्त विवेचन/शर्तो के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एंव संशोधित।

21/12/18

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

21/12/18

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।